

लेवट ३१

राष्ट्रिय
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा, केन्द्र 2 समुदाय केंद्र
प्रौढ, विहार नई दिल्ली ।

पृष्ठ १७ । अङ्क ११

तयः॥ डिनांकः

शिवाम्बर, १९९५

विषय:- जेएन० एमएलसी गजाना रोड भरठ को तीरुवी० प्रताप० नई दिल्ली से सम्बन्धित, दृष्टि अनापत्ति प्रमाणपत्र दिए जाने के संबंध में ।

महोदय.

उपयुक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेरी एकडेमी गवाना रोड, मेरठ को सी०सी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रवास किये जाने में जो राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोताइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए विद्यालयों में विभिन्न बधाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से 'कली अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वार्षिक शिक्षा परिषद/कीरिल फार दि इंडियन स्कूल बोर्ड/मिसेड इनका मोशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से समझौता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/अंतरा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था अधिक एवं अधिकतर कर्मचारियों को राजस्वीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमति पत्रमानों तथा अन्य भत्तों से 'कम भत्तमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेगे' ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा भी बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमति पत्रमानों के तहत का लाभ उपलब्ध करीये जायेगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गमित किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/योजनाओं में रखा जायेगा ।

19। उक्त बातों में राज्य सरकार के पूर्वाग्रहों के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिचर्चा नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय द्वारा लिया जा रहा शिक्षण शुल्क केवल अन्य समस्त राष्ट्रीय संस्थाओं से अधिक नहीं है तथा वर्तमान वार्षिक शुल्क कम कर दिया गया है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृत्त या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

महोदय,
प्रभुसूत सचिव ।

पू०सू० 306111/15-7-1995 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिना विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ।
- 4- निरीक्षक, आगत भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, जेपी० एकाडेमी मवाना रोड, मेरठ ।

आज्ञा से,

CTC
Principal
J. P. ACADEMY
P. O. Rajpura, Mawana Road
MEERUT - 250 001

प्रभुसूत सचिव ।